<u>आर.टी.आई.</u> स्पीड पोस्ट

---2/-

मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई. भारत सरकार कृषि एवं. किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा नई दिल्ली-110012 दिनांक 5 फ़रवरी, 2024

सेवा में

श्री रविथेजा 33/1-249, साईं ईश्वरनगर राय्थुनाग्राम रोड, नन्द्याल-518501 (आंध्र प्रदेश) ई-मेल : <u>ravi.rt355@gmail.com</u>

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री रविथेजा, आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/24/00001 दिनांक 02-01-2024)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमे आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

	diploma in agriculture and allied subjects, intermediate in agriculture, science graduates with PG in agri related courses and graduates in life sciences environmental sciences and Microbiology Benefits under the Scheme: There is a provision of credit linked back-ende upfront composite subsidy on the bank loan availed by trained candidate under the programme. The subsidy is 44% in respect of women , SC/ST and a categories of candidates from North-Eastern and Hill States and 36% in respect of other categories. The subsidy is admissible for loans up to Rs.20 lakhs in case of individual and Rs.100 lakhs in case of Group Projects (for ventures set up by a group of 5 trained candidates).
	Benefits of MUDRA loan scheme have been inducted under AC&ABC programme. Also, the programme has been on-boarded with DBT Bhara Mission for implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) and Aadhaa particulars have been made mandatory for getting benefits under the scheme. Online process has been rolled out on 01.01.2018 through https://acabcmis.gov.in for training programmes under the scheme and details of subsidy distribution are captured on the online portal. Recently the AC&ABC programme has been on-boarded with PRAYAS Portal for reatime monitoring by PMO.
Also please provide information such as any subsidy on solar power plant installation, farm produce, processing units, agriculture machinery on subsidy, sir please help me by providing the information.	Details of the scheme may be seen at the website www.agriclinics.net Does not pertains to Directorate of Extension

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है । प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार) विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न॰ 204, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012 दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- <u>shailesh.mishra29@gov.in</u>

भवदीय (दीपा पांडे)

3प॰ निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.) दूरभाष :- 011-25846467 ई-मेल :- <u>deepa.pande65@gov.in</u>

<u> प्रतिलिपि :-</u>

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याम विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट <u>www.krishivistar.gov.in</u> पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

- 2 -